

I/285177/2023

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अम्बाला द्वारा भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत Development of 6 lane Access controlled Greenfield highway of (Shamli-Ambala NH-344GM) हेतु 30.00 राज्य में शामली वन प्रभाग के अन्तर्गत किमी 0.000 से 13.000 तक 0.471 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 27 वृक्षों के पातन तथा सहारनपुर वानिकी प्रभाग, सहारनपुर के अन्तर्गत किमी 0.13.00 से 46.668 तक 0.456 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 46 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.927 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं संरक्षित वनभूमि पर अवस्थित 73 वृक्षों के पातन की अनुमतिकी अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/151161/2022)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-696/81-2-2023-800(23)/2023 दिनांक 09 मार्च 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

Signed by आशीष तिवारी

Date: 09-03-2023 13:48:24

Reason: Approved

हस्ताक्षर
(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं

(जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित